न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी– श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :–17/2015(प्रार्थनापत्र) दायर दिनांक–15/12/2015

आदेश दिनांक–28-10-2020

अनवान

1–लक्सी पिता कचरा निवासी जेठाना
2– गटू पिता कचरा निवासी जेठाना
3–केशर बेवा कचरा निवासी जेठाना तहसील सागवाडा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1–श्रीमती जशोदा पत्नि कन्हैयालाल नाई निवासी जेठाना
2– गौरीशंकर पिता जगन्नाथ पण्ड्या निवासी जेठाना
3– तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर तहसील सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थीगण– श्री शेलेन्द्र जैन
वकील अप्रार्थीगण– श्री मयंक दोसी

प्रार्थना पत्र बाबत – अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाने अन्तर्गत ओर्डर 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

आदेश

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद बेदखल करने स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा पारित कराने के लिए न्यायालय में पेश किया है । इस प्रार्थना पत्र में बताया है कि प्रार्थीगण क कब्जे एवं स्वामित्व की खातेदारी जमीन मोजा जेठाना के खाता संख्या 1097 जमाबन्दी संवत 2065–68 में दर्ज खसरा नम्बर 4956 रकबा 3 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है । उक्त 3 बिस्वा जमीन में से प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा अर्थात 1.5 बिस्वा है जो प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व एंव आधिपत्य की होकर चारो ओर से पुराने परकोटे से गिरी हुई है ।प्रार्थीगण ने मूल दावे के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में पेश किया था जिसका मुकदमा नम्बर 8/14 है

Scanned with CamScanner

जिसका दिनांक 5.6.2015 को निस्तारण कर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिए गए है। जो आज भी प्रभावी है ।उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय का स्टे ओर्डर नही है ।न्यायालय के उक्त ओदश की जानकारी अप्रार्थी नं0 1 व 2 को है । अप्रार्थी 1 व 2 के द्वारा विवादित स्थल पर कब्जा करने के आशय से दावा करने के बाद जोर शोर से मकान निर्माण कर दिया तथा पक्का सिमेण्ट कार्य अभी भी बकाया है । अप्रार्थी नं0 1 न्यायालय आदेश की अवहेलना कर रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 को सहयोग कर रहा है । प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की जानकारी विद्युत विभाग में देने से उक्त मकान का विद्युत कनेक्शन रोका गया था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग सागवाडा से ले लिया है ।

अप्रार्थी 1 व 2 का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है जिसकारण से अप्रार्थी 1 व 2 के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाकर जूर्माने से दण्डित किये जाने एंव किया गया निर्माण तुडवाने आदेश चाहने निवेदन किया गया है ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज नकल आदेश दिनांक 5.6.2015 एंव नकल सूचना विद्युत विभाग की रसीद दिनांक 15/10/15 की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीग्रण को नोटिस जारी किया गया । जवाब में प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करना एवं विचाराधीन होना स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नही होना ,परकोटा विपक्षीगण का बना हुआ व विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामी होकर विपक्षी संख्या 1 का मकान वाद दायरी से पूर्व बना हुआ होना,रेकार्ड में गलती से प्रार्थीगण का नाम चला आने से` प्रार्थी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करना एंव विपक्षीगण द्वारा किसी भी प्रकार से न्यायालय आदेश की अवहेलना नही किया जाना बताया है। वादग्रस्त भूमि जशोदा द्वारा विपक्षी संख्या 1 से क्रय कर उस पर मकान बताते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया हे ।

Scanned with CamScanner

विपक्षीगण के जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त वकील प्रार्थी के द्वारा साक्ष्य में प्रार्थी लक्सी स्वयं एवं गवाह लाला के बयान करा साक्ष्य प्रार्थी समाप्त की । वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी जशोदा के बयान करा अपनी साक्ष्य समाप्त की गई ।

साक्ष्य उपरान्त वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई । विद्धान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व प्रकरण का उल्लेख करते हुए अप्रार्थीगण द्धारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करेन से उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने का निवेदन किया गया ।

विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वाद ग्रस्त भूमि नियमानुसार कय किया जाना तथा प्रार्थीगण द्धारा झूठे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को परेशान करना बताते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात का उल्लेख करते हुए अपनी बहस समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया ।

प्रार्थीगण की ओंर से वाद ग्रस्त आराजी अपने कब्जे स्वामित्व होने की बतातें हुए अप्रार्थीगण द्धारा न्यायालय के पूर्व आदेश के अवहेलना कर जबरन निर्माण करने से न्यायालय आदेश की अवहेलना विपक्षीगण द्धारा किए जाने से उन्हें सख्त सजा के लिए निवेदन किया गया है । अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि उनके द्धारा कय की गई है एव कय का दस्तावेज भी विधिवत संपादित कराया गया है । प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है कि विपक्षीगण का कथन असत्य साबित हो एवं विपक्षीगण द्धारा न्यायालय आदेश की अवहेलना प्रमाणित हो । प्रार्थीगण द्धारा प्रकरण की कार्यवाही के दौरान कमिश्नरी रिपोर्ट के लिए आवेदन किया जाकर रिपोर्ट न्यायालय में उपलब्ध करवाई जा सकती थी लेकिन प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कमिश्नरी रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

Scanned with CamScanner

उक्त विवेचन से अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना की जाना प्रमाणित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा0दी0 का खारीज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 28-10-2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with CamScanner